पीठासीन आधकारा

भागीरथ राम(आरटीएस)
दिनांक 25.9.17

मि.न.28 / 17

सरकार बनाम नरेश कुमार

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनेठी ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली के ख0 न0134 रकबा 11.70है0मेंसे 0.75है0 किस्म जमीन ,बंजड सिवायचक पर नरेश कुमार पुत्र चेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने फसल ग्वार कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थि आये । लेकिन गैरसायल ने कोई जवाब , साक्ष्य पेश नहीं किया व मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया ।अत गैर सायल द्वारा वाके ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली के ख0 न0134 रकबा 11.70है0मेंसे 0.75है0 किस्म जमीन ,बंजड सिवायचक पर फसल ग्वार कास्त करना अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है। अतःगैरसायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः, नरेश कुमार पुत्र चेतराम जाति ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 134 रकब0.11.70है0मेंसे 0. 75है0,किस्म जमीन ,बंजड सिवायचक पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर कास्तशुदा फसल ग्वार को कब्जे राज लेकर सरेआम निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 3रूका पचास गुणा150रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामी, बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक25.9.17, को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017 01B..... के रा० ल० न
के पृष्ठ संख्या 62 .. पर ...150रु
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

तहसील कोटपूतली (जयपुर)